



बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

अतः वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(2), 13(4) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों /परिसम्पत्तियों के विक्रय हेतु "जो जहाँ है" और "जहाँ जैसा है" के आधार पर ऑन लाइन पब्लिक आक्शन ई-नीलामी निविदाएं आमंत्रित की जाती है। नीलामी ई-आक्शन प्लेटफार्म [website:https://ucobank.auctiontiger.net](https://ucobank.auctiontiger.net) पर की जायेगी।

क्र.	शाखा का नाम खाते/ऋणी/ जमानतदार का नाम	मांग सूचना दि. कब्जा दिनांक बकाया राशि	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित धन राशि अग्रधन राशि जमा (ईएमडी)
------	---	--	--	---

कृषि नगर शाखा, जबलपुर फोन : 0761-2681367, 2681376 मोबा.: 9753550158, 09760017629
IFSC Code : UCBA0000302, खाता क्र.- 03021032220001

1	ऋणी: श्रीमती माया बाई रजक पत्नि श्री भोजराज रजक 264, जवाहर नगर, आधारताल, जबलपुर	12-10-2015	अधूरा दो मंजिला रिहायशी भवन स्थित मौजा आधारताल एन.बी. नं. 6, प.ह.नं. 22, पी/ओ खसरा नं. 133, प्लाट नं. 12-बी, लोक कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, दीवान आधार सिंह वार्ड तहसील एवं जिला-जबलपुर, प्लाट क्षेत्रफल-900 वर्गफिट चतुर्सीमाएं उत्तर-कालोनी रोड, दक्षिण-पड़ोस, पूर्व-केवट जी का प्लाट, पश्चिम-धकड़िया जी का प्लाट संपत्ति मालिक - श्रीमती माया बाई रजक	₹ 1688000/-
		16-01-2016		₹ 636348/- +दि. 01-09-2015 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च
2	ऋणी: श्री राकेश गुप्ता पुत्र भवानीदीन गुप्ता एवं श्रीमती मालती गुप्ता पत्नि राकेश गुप्ता, म.नं. 548 प्रोफेसर कालोनी, सुहागी, जबलपुर	13-02-2015	एक मंजिला रिहायशी भवन स्थित मौजा-सुहाग, प्लाट नं. 520, एनबी 426, प.ह. नं. 17/20, डा.सू.नं. 1, खसरा नं. 3/2, मौजा सुहागी, प्रोफेसर कालोनी, जबलपुर (म.प्र.) प्लाट क्षेत्रफल-2400 वर्गफिट चतुर्सीमाएं-पूर्व-एस.के. मुखर्जी का प्लाट, पश्चिम-प्लाट नं. 519, उत्तर-कालोनी रोड, दक्षिण-खुली भूमि संपत्ति मालिक-श्री राकेश गुप्ता एवं श्रीमती मालती गुप्ता	₹ 2592000/-
		09-06-2015		₹ 999018/- +दि. 01-01-2016 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च

नवयुग शाखा, जबलपुर फोन : 0761-2621499 मोबा.: 9755611795, 09760017629
IFSC Code : UCBA0002002, खाता क्र.- 20021032220001

3	ऋणी: श्री मुकेश कुमार पांडे पुत्र विजय दत्त पांडे जमानतदार-विजय दत्त पांडे पुत्र श्री विनायक दत्त पांडे	26-10-2012	दो मंजिला व्यवसायिक / रिहायशी भवन स्थित मौजा माधौताल, एन.बी. 660, प.ह.नं. 25, खसरा नं. 152/1 का भाग, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, तहसील एवं जिला-जबलपुर, (म.प्र.) संपत्ति मालिक-श्री विजय दत्त पांडे पुत्र श्री विनायक दत्त पांडे चतुर्सीमा- उत्तर- प्लाट नं. 101, दक्षिण-रोड, पूर्व-प्लाट नं 99, पश्चिम- 80 फिट चौड़ी सड़क प्लाट क्षेत्रफल-2100 वर्गफिट	₹ 4785000/-
		04-03-2015		₹ 570035/- +दि. 01-10-2012 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च

विक्रय की नियम एवं शर्तें :- (1) नीलामी विक्री दिनांक 21-12-2016 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) बीच 5 मिनट प्रत्येक असंमित विस्तारके साथ वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के माध्यम से "ऑन लाइन ई-नीलामी" बोली होगी। (2) इच्छुक बोलीकर्ता के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तथा ई-मेल पता होने चाहिए सिग्नेचर के संबंध में मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीस लि. ए-201/208, वाल स्ट्रीट, 2 ओरियन्ट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के पास, एलिस ब्रिज अहमदाबाद 380006 गुजरात (सम्पर्क- श्री दानिश मोबाइल: 8305675610, 8878442117 फोन नं. : 079-40230823, 827, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820) अथवा मेल करें : support@auctiontiger.net & mp@auctiontiger.net। (3) बोलीकर्ता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने के पहले तथा ई-नीलामी विक्री प्रक्रिया में भाग लेने के पहले विस्तृत नियम तथा शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर देखें। (4) संभावित बोलीकर्ता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीस लि. से ई-नीलामी हेतु ऑन लाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। (5) बोली प्रारंभिक विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑन लाइन जमा करना है। (6) धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 21-12-2016 सुबह 11.30 बजे तक है। (7) ईएमडी (अग्रधन राशि) यूको बैंक, के उपरोक्त वर्णित खातों में RTGS/NEFT/FUND TRANSFER के माध्यम से जमा करना है। (8) आन लाइन जमा किये गये संलग्नों के साथ (UTR No. का भी उल्लेख करें) बोली फार्म की प्रति यूको बैंक की संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी को ऑन लाइन ई-मेल पर प्रेषित की जायेगी। (9) मूल्य बोली आरक्षित राशि से ऊपर जमा करना है तथा बोलीकर्ता को अपने आगे का प्रस्ताव रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) गुणज में देना है। (10) प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने नीलामी को निरस्त करने या आगे बढ़ाने अथवा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन करने का बिना कारण बताये अधिकार प्राप्त रहेगा। (11) उपरोक्त वर्णित संपत्तियां आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। (12) सफल बोलीकर्ता को खरीद राशि (अग्रधन राशि सहित) का 25 प्रतिशत उपरोक्त क्लॉउज 7 में बताए गए मोड में बिक्री के दिन ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के पूरा होने पर तत्काल जमा करना है, खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति / पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर करना होगा। (13) ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के पूरे होने पर असफल बोलीकर्ता को ईएमडी वापस कर दी जायेगी। (14) संपत्ति सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत "जो जहाँ है और जहाँ जैसा है" के आधार पर विक्रय की जायेगी। (15) संपत्ति के निरीक्षण एवं अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा प्रबंधकों से उपरोक्त दिये गये नंबरों पर कार्यालयीन समय में संपर्क करें। (16) बिड अहस्तांतरणीय है। (17) संपत्ति से संबंधित सभी स्थानीय कर (प्रापर्टी टैक्स, वाटर सीवेज, विद्युत बिल, इत्यादि) एवं स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च, पंजीयन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्च इत्यादि क्रेता को वहन करने होंगे। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीकर्ता के नाम जारी किया जावेगा। (18) बैंक एवं प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। बोलीकर्ता से अनुरोध है कि निविदा जमा करने से पूर्व बैंक के पास रखी संपत्ति की टाइटल डीड देखें एवं संपत्ति के भार से संबंधित जानकारी की स्वयं पुष्टि करें एवं संतुष्ट होंगे। (19) विक्रय एवं नीलामी की पुष्टि बैंक द्वारा की जायेगी। (20) इच्छुक बोलीकर्ता को बैंक के प्रभार के अलावा किसी प्राधिकार संपत्ति के संबंध में विचारशील पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा बोली जमा करने से पहले टाइटल, सीमाक्षेत्र, गुण तथा संपत्ति की गुणवत्ता के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। बिक्री के रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी भी बात इत्यादि पर संपत्ति के ऊपर कोई प्रभार किसी भी स्वरूप के किसी दावे पर आन लाइन बोली जमा करने के बाद विचार नहीं किया जावेगा।

सिक्युरिटाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

उधारकर्ताओं/जमानतदारों को एक्ट द्वारा नीलामी की तिथि के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्तियों को उपरोक्तानुसार नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य खर्च सहित उनसे वसूल की जावेगी।

स्थान - भोपाल दिनांक : 19-11-2016

प्राधिकृत अधिकारी